सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

प्रत्यायुक्त विधान समिति

का

एकादश प्रतिवेदन

(स्वास्थ्य विभाग)

(दिनांक 24 जुलाई, 2025 ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा

की

प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा प्रकाशित।

विषय–सूची

क्रमांक		पृष्ठ
1	प्रत्यायुक्त विधान समिति के सदस्यों की सूची	क
2	प्रत्यायुक्त विधान समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	ख
3	प्राक्कथन	ग
4	प्रतिवेदन	1–4
5	परिशिष्ट 1 से 07	5–30

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति (वर्ष 2025–26) के सदस्यों की सूची

सभापति

1.	श्री अजीत शर्मा	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री आबिदुर रहमान	स०वि०स०
2.	श्री अनिरूद्ध कुमार	स०वि०स०
3.	श्री प्रेम शंकर प्रसाद	स०वि०स०
4.	श्री रामबली सिंह यादव	स०वि०स०
5.	श्रीमती नीतु कुमारी	स०वि०स०
6.	श्रीमती शालिनी मिश्रा	स०वि०स०
7.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी	स०वि०स०
8.	श्रीमती मीना कुमारी	स०वि०स०

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

1.	श्रीमती ख्याति सिंह	–	प्रभारी सचिव
2.	मो० शमीम अहमद	–	उप–सचिव
3.	श्री संजीव कुमार	–	अवर–सचिव
4.	श्री चंदन कुमार	–	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री पंकज कुमार राय	–	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6.	श्रीमती कंचन कुमारी	–	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

प्राक्कथन

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बने नियम, उप–नियम, विधि उप–विधि आदि के सम्परीक्षण के क्रम में समिति ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 का अवलोकन करने के पश्चात् उस पर बनायी गयी नियमावली, वार्षिक प्रतिवेदन एवं रेगुलेशन से संबंधित समीक्षा की। साथ ही, समिति ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी स्वास्थ्य विभाग से प्रतिवेदन की अपेक्षा की। साथ हीं बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों, राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों, की 2018 से चल रही कैशलेस चिकित्सा से संबंधित मामले पर भी विमर्श किया जिसके फलस्वरूप यह प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सहयोग दिया गया उसके लिए समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

बिहार विधान सभा की समिति शाखा के कर्मियों ने जो सहयोग और परिश्रम किया है उसके लिए समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन के बिना इस प्रतिवेदन को तैयार करना संभव नहीं था, इसलिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

विभिन्न विभागों के नियम, उप–नियम, विधि, उप–विधि आदि के सम्परीक्षण के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ भी पत्राचार एवं बैठकें की गई। स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया समिति की बैठक में दिखा वह टाल–मटोल करने वाला था। समिति स्वास्थ्य विभाग के साथ अक्टूबर, 2024 से लेकर अभीतक पाँच बैठकें कर चुकी है। समिति ने महसूस किया कि विभागीय अधिकारी समिति के समक्ष बिना कोई तैयारी के आते हैं और हर बैठक में अगली बैठक में उत्तर देंगे, प्रतिवेदन भेज देंगे कहकर टालने का प्रयास करते हैं। दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 को स्वास्थ्य विभाग के साथ बैटक निर्धारित थी, उसमें जिस भी बिंदु पर पूछा गया, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगली बैटक में दे देंगे या जवाब भिजवा देंगे, यह बताया गया। समिति ने अधिनियम एवं नियमावली के गठन के संबंध में पाँच बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से पत्रांक 3029, दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के माध्यम से प्रतिवेदन की अपेक्षा की (परिशिष्ट 1)। समिति ने उल्लेखित पाँचों बिंदुओं पर दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को बैठक की। उस बैठक में विभाग से जब समिति ने जानकारी चाही कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत बनायी गयी नियमावलियों को सदन पटल पर रखा गया या नहीं, तो विभाग द्वारा लिखित उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। विभाग उस दिन यह बताने में असमर्थ रहा कि गठित नियमावलियां सदन पटल पर रखने हेतु कोई कार्रवाई की गयी या नहीं। समिति ने सहज जिज्ञासावश यह भी जानकारी चाही कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनायी गयी अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 जो पत्रांक 19300, दिनांक 13 अक्तूबर, 2024 द्वारा जारी है, के आलोक में बेसिक ग्रेड के चिकित्सकों को प्रोन्नति दी गयी या नहीं ? दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 की बैठक में इसका उत्तर दिया गया कि विभाग द्वारा उप–निदेशक एवं समकक्ष पदों का प्रभार देने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित चिकित्सकों से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर उच्चतर पद पर प्रभार देने हेतु गठित समिति के समक्ष रखा गया लेकिन तकनीकी कारणों से कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं हो सका। सम्प्रति सामान्य चिकित्सकों के कुल 2169 एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 1172 पदों पर प्रोन्नति यानी उच्चतर पदों पर कार्यभार देने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 की ही बैठक मे जब विभाग से पूछा गया कि बेसिक ग्रेड के सामान्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रोन्नति नहीं दिये जाने के कारण नीचे के पद खाली नहीं हो पा रहे हैं और बिहार की जनता चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने से वंचित है, तो फिर आप प्रोन्नति क्यों नहीं दे रहे हैं जबकि अक्तूबर, 2023 से ही नियमावली प्रभावी है तो अपर सचिव द्वारा बताया गया कि पी०ए०आर० उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब वह हमें प्राप्त हो गया है। इसलिए हम लोग जल्दी ही एक माह के अंदर प्रोन्नति कर देंगे (परिशिष्ट 2)। यह दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। जो लिखित उत्तर समिति को उपलब्ध कराया गया उसमें बताया गया कि प्रोन्नति का मामला समिति के समक्ष रखा गया, लेकिन तकनीकी कारणों से हस्ताक्षर नहीं हो सका और

दूसरी तरफ बैठक में जो मौखिक उत्तर दिया गया उसमें कहा गया कि पी०ए०आर० उपलब्ध नहीं था (परिशिष्ट 3)।

समिति द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के अंतर्गत बनी नियमावलियों को सदन पटल पर रखने सहित अन्य बिंदुओं पर विमर्श हेतु दिनांक 16 जून, 2025 को बैठक निर्धारित की गयी जिसमें सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रोन्नति के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि दिनांक 20 मई, 2025 को नियंत्री पदाधिकारियों से पी०ए०आर० एवं अन्य वांछित कागजात की मांग अंतिम रूप से की गयी है, जबकि पिछली बैठक में एक माह में प्रोन्नति देने की बात कही गई थी। विभाग से यह भी पूछा गया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर सदन पटल पर सरकार के माध्यम से रखना था, उसे रखा गया या नहीं ? अधिनियम की धारा 26 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति है तथा धारा 27 में संस्थान को सरकार से अनुमोदन से रेगुलेशन बनाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा बताया गया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 में दो बार संशोधन हुआ है। वार्षिक प्रतिवेदन, नियम तथा रेगुलेशन के बारे में कोई सही जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई। इसी तरह से कैशलेस चिकित्सा सुविधा के मामले पर विभाग से जानकारी चाही गयी परन्तु विभाग द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। जिसके बाद बैठक दिनांक 26 जून, 2025 को निर्धारित की गई। दिनांक 26 जून, 2025 की बैठक में वित्त विभाग को भी कैश्लेस चिकित्सा के संबंध में बुलाया गया था। वित्त विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि संचिका समेकित रूप से प्रस्ताव नहीं आने के कारण विभाग को वापस कर दी गई है (परिशिष्ट 4)। तब समिति ने संचिका की छायाप्रति की मांग स्वास्थ्य विभाग से की। समिति द्वारा पत्रांक 1618, दिनांक 02 जुलाई, 2025 द्वारा विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई और स्वास्थ्य विभाग के साथ दिनांक 14 जुलाई, 2025 को बैठक निर्धारित की गई (परिशिष्ट 5)। दिनांक 14 जुलाई, 2025 को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 से संबंधित जानकारी जब मांगी गयी तो एक नई जानकारी दी गई कि उच्चतर पद का प्रभार देने के क्रम में चिकित्सकों पर निगरानी शाखा से आंतरिक स्वच्छता प्राप्त की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रोन्नति नहीं देने पर अडिग है और यही कारण है कि कभी तकनीकी रूप से हस्ताक्षर नहीं होना, कभी पी०ए०आर० उपलब्ध नहीं होना और अब निगरानी शाखा से आंतरिक स्वच्छता प्राप्त करना आदि उत्तर दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसरण में नियमावली, रेगुलेशन एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित मामले का उत्तर दिया गया कि मुख्य प्रशासी पदाधिकारी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा वर्ष 2014–15 से वर्ष 2021–22 तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की सूचना दी गयी है। नियमावली बनाने से संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया गया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1984 बनायी गई है, जबकि

पिछले उत्तर में ऐसा कोई जिक्र विभाग द्वारा नहीं किया गया था। फिर भी यदि नियमावली बनायी गई, तो उसे सदन पटल पर रखा जाना था जिससे संबंधित उत्तर विभाग देने में असमर्थ रहा। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 की धारा 27 के अंतर्गत (a) से (m) तक के कार्य कलाप के लिए संस्थान को रेगुलेशन बनाना था जिसके संबंध में उत्तर दिया गया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा अधिनियम प्रारूप तैयार कर कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासी निकाय की 93वीं बैठक में मद संख्या 93/1401(B) अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त कर विभाग को भेजा गया है जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह उत्तर अपने आप में चकित करने वाला है। अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था कि (a) से (m) तक के कार्य कलाप के लिए रेगुलेशन बनाया जायेगा, लेकिन अभीतक रेगुलेशन बनाया नहीं गया है और न ही उसे सदन पटल पर रखा गया है। समिति समझ नहीं पा रही है कि (a) से (m) तक में निर्धारित कार्यकलाप किस प्रकार सम्पन्न हुए, किस नियम से सम्पन्न हुए ? 1984 से 2025 तक अधिनियम में वर्णित नियमावली, रेगुलेशन और वार्षिक प्रतिवेदन नहीं बनना और सदन पटल पर नहीं रखा जाना दुखद है।

कैशलेस चिकित्सा से संबंधित मामले में उत्तर दिया गया कि दिनांक 1 जनवरी, 2018 से यह कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सरकार द्वारा संकल्प संख्या 944, दिनांक 20 अगस्त, 2014 के तहत बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज हेतु प्रदान किये जाने वाले अनुदान से संबंधित योजना पेंशनरों के अनुरोध पर वापस लेते हुए पूर्व की तरह ही पुनः चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान संकल्प संख्या 398, दिनांक 9 मार्च, 2018 द्वारा किया गया है (परिशिष्ट 6)। विभाग के साथ दिनांक 14 जुलाई, 2025 को जो बैठक हुई उसमें विभाग की तरफ से उपस्थित विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि इस पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और CGHS की तरह BGHS का प्रपोजल हम दे रहे हैं, जो माननीय मंत्री के पास अनुमोदन के लिये जा रहा है। विशेष कार्य पदाधिकारी ने BGHS का पूरा विवरण भी दिया है कि उस योजना से कौन–कौन आच्छादित होंगे और किस प्रकार इलाज की व्यवस्था की जायेगी (परिशिष्ट 7)। समिति उनके कथन से संतुष्ट है और समिति की बैठक के बाद ही सही यदि बतायी गयी बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यान्वित कर दी जाती है तो विभाग धन्यवाद का पात्र होगा।

समिति निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंची है।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य विभाग यदि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 को एक बार भी ठीक से देख लेता तो पता चल जाता कि उसके अंदर विभाग और संस्थान के लिये कौन–कौन से काम निर्धारित हैं। इसलिये समिति यह महसूस करती है कि विभाग को बने अधिनियमों, नियमावलियों को लगातार देखते रहने की आवश्यकता है। इसलिये स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार की

आवश्यकता है। समिति ने यह भी महसूस किया कि विभाग की आंतरिक कार्य प्रणाली में एक जड़ता सी है जिसे दूर करने की आवश्यकता है ताकि अधिनियम/नियम के अनुरूप कार्रवाई हो सके। समिति विमर्श से इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रोन्नति से बेसिक ग्रेड के पद खाली होंगे तभी उस पद पर नियुक्ति हो सकती है जिससे जनता सस्ती चिकित्सा सुविधा हासिल कर सकेगी। विभाग ने स्वीकार किया है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कल्याणकारी राज्य में बिना किसी खर्च के यदि कोई इस तरह की जनहित की योजना लागू हो सकती है तो उसे अविलंब कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता समिति महसूस करती है।

समिति निम्नांकित अनुशंसाएं करती है:—

अनुशंसा

1. अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. पात्र सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की देय प्रोन्नति तीन माह के अंदर दी जाय।
3. बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना को तीन माह के अंदर कार्यान्वित किया जाय।

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

पत्र संख्या प्र०वि०स०–17 / 2021 / 3029 / वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

असीम कुमार,

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,

स्वास्थ्य विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 01 नवम्बर, 2024 (ई०)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार बिहार सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न आपके विभागीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक में विचार–विमर्श के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समिति ने प्रतिवेदन की आपसे अपेक्षा की है:–

1. विभाग के संवर्ग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिसूचित है। अनुच्छेद 309 के तहत नियमावली सदन के द्वारा ही बनायी जा सकती है। विभाग द्वारा नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कैसे बनाया गया है ?
2. नियमावली सदन पटल पर रखी गयी अथवा नहीं, रखी गयी तो उसकी तिथि और नहीं रखी गयी तो उसका औचित्य क्या है ? क्यों नहीं सदन पटल पर सभी नियमावलियां रखी गयीं ?
3. दिनांक 1 जुलाई, 2023 से दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक सभी जिलों / अनुमंडलों में किस–किस पदाधिकारी / कर्मचारी का वेतन बंद किया गया और वेतन बंद करने का आधार क्या है ?
4. सरकार द्वारा 13 अक्तूबर, 2023 को ही अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 बना दिये जाने के बावजूद चिकित्सकों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति नहीं दिये जाने के

कारण बेसिक ग्रेड के पद विगत 10 माह से रिक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण चिकित्सकों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही है और राज्य को चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं। उपर्युक्त नियमावली के अनुरूप किस–किस स्तर के पद पर प्रोन्नति दी गयी ? अभी विभिन्न संवर्ग के कितने पात्र चिकित्सक हैं जिन्हें प्रोन्नति नहीं दी गयी है और उसका कारण क्या है ? बनायी गयी नियमावली का अनुपालन क्यों नहीं किया गया ?

5. अस्पताल भवनों का मेंटेनेंस किसको करना है ? जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर एवं मायागंज अस्पताल, भागलपुर के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं रहने की सूचना क्या विभाग को है और अगर है तो विभाग ने उस दिशा में क्या कार्रवाई की है ?

अतः अनुरोध है कि अद्यतन वांछित प्रतिवेदन दस प्रतियों में समिति के विचारार्थ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

असीम कुमार,

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–2

सं०सं० 13/वि०स०–01/2021/332 (13)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

मगन मोहन मेहरा,
सरकार के अवर–सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 (ई०)।

विषय––बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को प्रस्तावित बैठक हेतु प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग––आपके पत्रांक प्र०वि०स०–17/2021–3653/वि०स०, दिनांक 5 दिसम्बर, 2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा प्रत्यायुक्त विधान समिति से संबंधित प्रतिवेदन बिहार विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में वांछित प्रतिवेदन संलग्न कर 10 (दस) प्रतियों में भेजी जा रही है। कृपया पावती स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक––यथोक्त।

विश्वासभाजन,
मगन मोहन मेहरा,
सरकार के अवर–सचिव।

संoसंo 13/विoसo–01/2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को प्रस्तावित बैठक का उत्तर प्रतिवेदन––

प्रश्नावली

(1) विभाग के संवर्ग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिसूचित है। अनुच्छेद 309 के तहत नियमावली सदन के द्वारा ही बनायी जा सकती है। विभाग द्वारा नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कैसे बनाया गया है ?

(2) नियमावली सदन पटल पर रखी गयी अथवा नही, रखी गयी तो उसकी तिथि और नहीं रखी गयी तो उसका औचित्य क्या है क्यों ? क्यों नहीं सदन पटल पर सभी नियमावलिया रखी गयी ?

(3) दिनांक 1 जुलाई, 2023 से दिनांक 19 जुलाई 2024 तक सभी जिलों/अनुमंडलों में किस–किस पदाधिकारी/कर्मचारी का वेतन बंद किया गया और वेतन बद करने का आधार क्या है ?

(4) सरकार द्वारा 13 अक्तूबर, 2023 को ही अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 बना दिये जाने के बावजूद चिकित्सकों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति नहीं दिये जाने के कारण बेसिक ग्रेड के पद विगत 10 माह से रिक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण चिकित्सकों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही है और राज्य को चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं। उपर्युक्त नियमावली के अनुरूप किस–किस स्तर के पद पर प्रोन्नति दी गयी ? अभी विभिन्न संवर्ग के कितने पात्र चिकित्सक हैं जिन्हें प्रोन्नति नहीं दी गयी और उसका कारण क्या हे ? बनायी गयी नियमावली का अनुपालन क्यों नहीं किया गया ?

(5) अस्पताल भवनों का मेंटेनेंस किसको करना है ? जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर एवं मायागंज अस्पताल, भागलपुर के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं रहने की सूचना क्या विभाग को है और अगर है तो विभाग ने उस दिशा में क्या कार्रवाई की है ?

उत्तर प्रतिवेदन

(1) मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संo 1757, दिनांक 30 जुलाई, 2005 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 2392, दिनांक 25 अगस्त, 2006 द्वारा संवर्ग नियमावली के गठन का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत संबंधित विभाग के संवर्गों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनायी गयी है, जिसमें विभागीय मंत्री, प्राधिकृत समिति (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना), वित्त विभाग, बिहार , पटना एवं विधि विभाग, बिहार, पटना से विधिक्षित होकर

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

(2) सूचना एकत्र की जा रही है।

(3) किसी भी जिलों/अनुमंडलों से उक्त अवधि में किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी का वेतन बंद करने की सूचना प्राप्त नहीं है।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 19300, दिनांक 13 अक्तूबर, 2024 एवं 636, दिनांक 10 जनवरी, 2024 के आलोक में सर्वप्रथम निदेशक प्रमुख, निदेशक एवं अपर निदेशक के कुल 173 पदों पर उच्चतर पद का प्रभार दिया जा चुका है। तत्पश्चात् विभाग द्वारा उप-निदेशक एवं समकक्ष पदों का प्रभार देने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित चिकित्सकों से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त कर उच्चतर पद पर प्रभार देने हेतु गठित समिति के समक्ष रखा गया है, लेकिन तकनीकी कारणों से कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं हो सका। सम्प्रति सामान्य चिकित्सक के कुल 2169 एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 1172 पदों पर प्रोन्नति यानी उच्चतर पद का प्रभार देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बिहार पटना के अंतर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के स्पेशियलिटी विभागों के अंतर्गत कुल 304 सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक तथा कुल 189 सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक तथा सुपर स्पेशियलिटी विभागों के अंतर्गत कुल 21 सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक एवं कुल 4 सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापकों के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में एक सहायक निदेशक को उप-निदेशक, एक संयुक्त निदेशक को अपर निदेशक तथा 05 उप-निदेशकों को संयुक्त निदेशक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया गया है। वर्ष 2024 में मूल कोटि के 2901 (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की गयी है एवं राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित भी कर दिया गया है।

अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के आलोक में आयुर्वेद, होमियोपैथ एवं यूनानी प्रक्षेत्र के क्रमशः 24, 06 एवं 05 सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर उच्चतर प्रभार दिया गया है। एक सह-प्राध्यापक को प्राध्यापक के पद पर उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है।

(5) राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का मेंटेनेंस कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के मेंटेनेंस हेतु निविदा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा जारी की गयी है। निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट–3

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को 12:00 बजे मध्याह्न में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष में हुई, की कार्यवाही।

उपस्थिति

श्री अजीत शर्मा	सभापति
श्री अनिरूद्ध कुमार	सदस्य
श्री रामबली सिंह यादव	सदस्य
श्री प्रेम शंकर प्रसाद	सदस्य

विभागीय पदाधिकारीगण

श्री डॉ० मनोज कुमार चौधरी, डायरेक्टर इन चीफ, स्वास्थ्य विभाग ,

श्री शैलेस कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग

श्री आनन्द प्रकाश, ओ०एस०डी०, स्वास्थ्य विभाग

श्री राम मोहन सिंह, जी०एम०, बी०एम०एस०आई०सी०एल०

श्री सैयद मुजफ्फर जमाली, एच०ई०

श्री राजीव रंजन, एस०ओ०

श्री शिव कुमार वर्मा, एच०ई०

श्री नवीन कुमार ठाकुर, एस०ओ०

श्री बलबीर कुमार, एस०ओ०

श्री राजीव रंजन, प्र०पदा०

श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, एस०ओ०

श्री शशिकान्त कुमार, एस०ओ०

श्री मगन मोहन मेहरा, अवर–सचिव

स्वास्थ्य विभाग

सभापति––बैठक प्रारंभ की जाती है।

आपने अभी बैठक के समय रिपोर्ट दी है, आपको समिति की बैठक से पूर्व ही अपनी रिपोर्ट समिति को उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि सभी माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर सकें। अब आप एक–एक करके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर बता दें।

अपर सचिव––ठीक है सर।

सभापति—विभाग के संवर्ग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिसूचित है। अनुच्छेद 309 के तहत नियमावली सदन के द्वारा ही बनायी जा सकती है। विभाग द्वारा नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कैसे बनाया गया है ?

अपर सचिव—सर, कोई भी नियमावली अनुच्छेद 309 का ही रेफरेंस देते हुए हमलोग बनाते हैं और संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत ही संबंधित विभाग के संवर्गों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली बनायी गयी है।

सभापति—नियमावली सदन पटल पर रखी गयी अथवा नहीं, रखी गयी तो उसकी तिथि और नहीं रखी गयी तो उसका औचित्य क्या है ? सदन पटल पर सभी नियमावलियां क्यों नहीं रखी गयी ?

अपर सचिव—सर, हम सभी नियमावली को सदन पटल पर रखेंगे। जो भी नियमावली अभी बन रही है उसमें अभी सेक्शन 6 से जी०एन०एम० नियमावली थी उसको अभी हमलोग सदन पटल पर भेजे हैं और जो भी पुरानी नियमावली है उसको भी हम भेज रहे हैं।

सभापति—जो नियमावली आप भेज चुके हैं उसकी तिथि और जो नियमावली आप भेजेंगे उसको कबतक भेजिएगा इसकी रिपोर्ट समिति को उपलब्ध करवा दीजिएगा।

अपर सचिव—ठीक है सर।

सभापति—वेतन बंद करने वाले बिंदु पर आप बता दीजिए कि जिलों/अनुमंडलों मे किस–किस का वेतन बंद है ?

अपर सचिव—सर इसके संबंध में पत्र भेजा गया है लेकिन इसकी कोई सूचना हमें नहीं मिली है।

सभापति—आप इसके संबंध में सूचना मंगवाकर समिति को उपलब्ध करवा दीजिएगा।

अपर सचिव—ठीक है सर।

सभापति—सरकार द्वारा 13 अक्तूबर, 2023 को ही अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 बना दिये जाने के बावजूद चिकित्सकों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति नहीं दिये जाने के कारण बेसिक ग्रेड के पद विगत 10 माह से रिक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण चिकित्सकों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही है और लोग चिकित्सा सुवधिा से वंचित हो रहे हैं। उपर्युक्त नियमावली के अनुरूप किस–किस स्तर के पद पर प्रोन्नति दी गयी ? अभी विभिन्न संवर्ग के कितने पात्र चिकित्सक हैं जिन्हें प्रोन्नति नहीं दी गयी और उसका कारण क्या है ? बनायी गयी नियमावली का अनुपालन क्यों नहीं किया गया ?

अपर सचिव—सर, हमलोग इसकी सूची तैयार कर चुके हैं। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के कुल 2 हजार 169 तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 1172 पदों पर प्रोन्नति देने की सूची तैयार है, उनलोगों

को प्रथम प्रोन्नति देंगे। अभी पूर्व में दो महीने के लिए आसन्न नियमावली लागू हुई थी जिसमें जंपिग नियम लागू किया गया था लेकिन लास्ट मोमेंट में वह तकनीकी कारणों से लागू नहीं हो सका लेकिन अभी नई सूची तैयार है।

सभापति––कबतक प्रोन्नति देंगे यह बताइए ?

अपर सचिव––सर, उनलोगों का पी०ए०आर० उपलब्ध नहीं था लेकिन अब वह हमें प्राप्त हो गया है इसलिए हमलोग जल्दी ही एक महीने के अंदर कर देंगे।

सभापति––ठीक है। अस्पताल भवनों का मेंटेनेंस किसको करना है ? जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर एवं मायागंज अस्पताल, भागलपुर के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं रहने की सूचना क्या विभाग को है और अगर है तो विभाग ने उस दिशा में क्या कार्रवाई की है ?

अपर सचिव––सर, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का कंस्ट्रक्शन तथा मेंटेनेंस कार्य बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि अभी टेंडर कर दिया गया है।

ओ०एस०डी––सर, 10 करोड़ 70 लाख का फाइनेंसियल बिड खुल चुका है और अभी टेक्निकल बिड हो रहा है।

जी०एम०, बी०एम०एस०आई०सी०एल०––सर, इस मंथ में यह पूर्ण हो जाएगा।

सभापति––अब जो प्रश्न हैं वे भेजे नहीं गये हैं, यदि आज जवाब दे सकते हैं तो ठीक है अन्यथा इनका उत्तर आप 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दें ;

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना किस अधिनियम से स्थापित हुआ ? अधिनियम के अनुसरण में अथवा अनुच्छेद 309 या उसके परंतुक के अंतर्गत कौन–कौन सी नियमावली बनायी गयी ?

एस०ओ०––सर, वर्ष 1984 में एक्ट बना था उसी के अनुसार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना की गयी है।

सभापति––अधिनियम के अनुसरण में अथवा अनुच्छेद 309 या उसके परंतुक के अंतर्गत कौन–कौन सी नियमावली बनायी गयी ? आप इसका उत्तर 15 दिनों में समिति को उपलब्ध करवा दीजिएगा।

अपर सचिव––ठीक है सर।

सभापति––इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से संबंधित नियमावली सदन पटल पर रखी गयी या नहीं, रखी गयी तो उसकी तिथि और नहीं रखी गयी तो उसका औचित्य क्या है ?

अपर सचिव––सर, इसकी रिपोर्ट भी हम लेकर समिति को उपलब्ध करवा देंगे।

सभापति—राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के संचालन के लिये कोई नियमावली बनायी गयी है अथवा नहीं, बनायी गयी है तो उसकी प्रतिलिपि और यदि नहीं बनायी गयी है तो संचालन किस प्रकार हो रहा है ?

अपर सचिव—सर, हम इसकी भी रिपोर्ट समिति को उपलब्ध करवा देंगे।

सभापति—स्वास्थ्य विभाग जनता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है खासकर गरीबों के लिए इसलिए सभी अस्पतालों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपलोगों ने भागलपुर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनवाया है लेकिन वहां पर कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां डॉक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, कोई भी एक्युपमेंट नहीं है और जो एक्युपमेंट आए हैं वे स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपलोग अस्पतालों के लिए पैसा लगाते हैं लेकिन उनका संचालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके संबंध में आपके जो कनीय पदाधिकारी हैं उनसे आप जरूर रिपोर्ट लीजिए क्योंकि जनता तो सरकार की तरफ देखती है इसलिए आपलोगों से आग्रह है कि इसपर ध्यान दीजिए ताकि सभी लोगों का सही से इलाज हो सके।

अपर सचिव—ठीक है सर।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट–4

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक जो दिनांक 16 जून, 2025 को 03:30 बजे अपराह्न में सभा सचिवालय स्थित विस्तारित भवन के समिति कक्ष में हुई, की कार्यवाही।

उपस्थिति

श्री अजीत शर्मा	सभापति
श्री आबिदुर रहमान	सदस्य
श्री अनिरूद्ध कुमार	सदस्य
श्री प्रेम शंकर प्रसाद	सदस्य
श्री रामबली सिंह यादव	सदस्य
श्रीमती नीतु कुमारी	सदस्या
श्रीमती शालिनी मिश्रा	सदस्या
श्रीमती प्रतिमा कुमारी	सदस्या

विभागीय पदाधिकारीगण

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह, डी०आई०सी०, स्वास्थ्य विभाग

श्री दिनेश कुमार झा, उप–सचिव, स्वास्थ्य विभाग

श्री उपेन्द्र राम, अवर–सचिव, स्वास्थ्य विभाग

श्री मगन मोहन मेहरा, अवर–सचिव, स्वास्थ्य विभाग

श्री विजय कुमार, एच०ई०

श्री पवन कुमार, एच०ई०

श्री एस०एम० जामदी, एच०ई०

श्री एम०डी० शाद आलम, एच०ई०

स्वास्थ्य विभाग

सभापति—बैठक प्रारंभ की जाती है।

आपका उत्तर आया है उसमें कुछ प्रश्न उभरे हैं वह एक–एक कर आप बता दें। प्रश्नावली 1 और 3 का उत्तर स्पष्ट है। प्रश्नावली 2 में आप बतायें।

(1) इसमें आपने कहा है कि ऐसी सूचना प्रतिवेदित नहीं है। पिछली बैठक में आपने कहा था कि इसके संबंध में पत्र भेजा गया है लेकिन इसकी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। आपको सूचना प्राप्त हुई या नहीं यह बता दें और प्राप्त हुई है तो उसकी प्रति उपलब्ध करा दें। अगर उत्तर नहीं लाए हैं

तो आप समिति को उपलब्ध करवा दीजिएगा।

डी०आई०सी०—ठीक है, सर।

सभापति—(2) पिछली बैठक 12 दिसम्बर, 2024 को हुई थी। उसमें आपने कहा था कि चिकित्सकों का पी०ए०आर० उपलब्ध नहीं था लेकिन अब वह हमें प्राप्त हो गया है इसलिये हमलोग एक माह के अंदर प्रोन्नति देंगे। इस बार आपने जवाब दिया है कि वांछित कागजात विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है और 20 मई, 2025 को पी०ए०आर० एवं अन्य वांछित कागजात की मांग अंतिम रूप से की गयी है। आप एक चीज स्पष्ट करें कि पिछला उत्तर सही था या इस बार का आपका उत्तर सही है ? क्या समिति माने कि आप समिति को कोई भी जवाब देकर चल देना चाहते हैं ? समिति में सारी चीजे लिखित होती हैं इसलिए गुमराह करने का प्रयास भविष्य में न करें।

दूसरा कहा कि आपने अंतिम रूप से नियंत्री पदाधिकारियों से मांगा है तो क्या वे आपके नियंत्रण से बाहर हैं जो नहीं भेज रहे हैं उन पर आपने क्या कार्रवाई की और जिनका आ गया उनकी प्रोन्नति क्यों नहीं दी गयी ? इसका भी जवाब आप समिति को दें या फिर बाद में समिति को भेजिएगा ?

उप–सचिव, स्वास्थ्य––सर, कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन पूरा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए अभी फिर से मई में पत्र भेजकर मांगा है। प्रतिवेदन आते ही मैं समिति को जवाब उपलब्ध करा दूंगा।

सभापति––ठीक है (3) आपने इसमें उत्तर दिया है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के अंतर्गत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान संचालित होता है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 की धारा 17 में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर सदन पटल पर रखा जाना है, धारा 26 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, धारा 27 में संस्थान को सरकार से अनुमोदन के उपरांत रेगुलेशन बनाने का प्रावधान है। क्या वर्ष 1984 से लेकर आजतक कोई रेगुलेशन, कोई रूल बना और बना तो उसे सदन पटल पर रखा गया या नहीं तथा संस्थान के कितने वार्षिक प्रतिवेदन तैयार हुए और उसे सदन पटल पर रखे गये ? इसका स्पष्ट उत्तर दें।

उप–सचिव, स्वास्थ्य––सर, वर्ष 1984 के बाद वर्ष 2007 एवं 2019 में उसी अधिनियम में ही संशोधन किया गया है।

सभापति––वर्ष 1984 के बाद जो भी नियम बने हैं उसको सदन पटल पर रखा जाना है। आप जानते हैं कि धारा 26 में सरकार ने नियम बनाने की पूरी शक्ति है, धारा 27 में संस्थान को सरकार से अनुमोदन के उपरांत रेगुलेशन बनाने का प्रावधान है। आप लोगों ने अभीतक क्या किया है ? इसका स्पष्ट उत्तर चाहिए। अगर आपके पास अभी जवाब नहीं है तो आप बाद में समिति को उपलब्ध करा दीजिएगा।

उप–सचिव, स्वास्थ्य––ठीक है, सर।

सभापति––पिछली बार समिति ने पूछा था कि नियमावली सदन पटल पर रखी गयी या नहीं ? आपने उत्तर दिया है कि उक्त तीनों अधिनियम सदन के पटल पर रखा गया है। आपको अधिनियम और नियम में फर्क शायद पता नहीं है। अधिनियम तो सदन से ही बनता है। यहां बात नियम, उप–नियम की हो रही है। समिति समझती है कि बिना कोई वर्क आउट किये आपलोग समिति को उत्तर देते हैं। अधिनियम, नियम में आपको फर्क पता होना चाहिए।

उप सचिव, स्वास्थ्य––सर, यह अधिनियम ही है, इसकी कोई नियमावली नहीं बनी है।

सभापति––अधिनियम तो सदन से बनता है ?

उप सचिव, स्वास्थ्य––जी सर, यह सदन से ही बना है।

सभापति––हम नियम, उप–नियम की बात कर रहे हैं जो आपको बनानी है और उसे सदन पटल पर रखना है ?

उप सचिव, स्वास्थ्य––सर, इसके बारे में कोई नियमावली नहीं है।

सभापति––आपने नहीं बनायी है ?

उप सचिव, स्वास्थ्य––नहीं, सर,।

सभापति––ठीक है। (5) आपने एक और उत्तर दिया है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है। क्या सरकार अपने चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के लिये कोई नियम/उप–नियम/विधि/उपविधि नहीं बनाती है और केवल एन०एम०सी० के अनुरूप ही संचालित करती है, यदि करती है तो आप बतायें कि एन०एम०सी० के अनुसार अस्पतालों के कुल बेडों की संख्या का कितना प्रतिशत आई०सी०यू० में बेड होना चाहिये ? यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य––सर, टोटल बेड का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

सभापति––क्या सभी जगह 15 परसेंट अवेलेबल है ?

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य––नहीं, सर,

सभापति––उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको करा कर आप समिति को रिपोर्ट उपलब्ध करा दीजिएगा।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य––ठीक है, सर।

सभापति––(6) नियमावली का विवरण आपने दिया है। सभी नियमावलियों को सदन पटल पर रखा गया है अथवा नहीं ? इसका जवाब इसमें नहीं है। आपके पास इससे संबंधित रिपोर्ट नहीं है तो चेक

करके समिति को रिपोर्ट उपलब्ध करा दीजियेगा।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य––ठीक है, सर।

सभापति––(7) आपने दिया है कि सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु निदेश 23 मई, 2025 द्वारा दिया गया है। मुख्यालय से निदेश ही जारी होता है या उसकी समीक्षा भी आप करते हैं ? अगर आप नहीं करते हैं तो कृपया करके इसकी समीक्षा जरूर करें।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य––ठीक है सर।

सभापति––प्रश्नावली 4 के बिंदु 1 में कैशलेस चिकित्सा के संबंध में आपने कहा है कि कर्मियों, विधान मंडल के माननीय सदस्यों/पूर्व सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी मामला प्रक्रियाधीन हैं। यह मामला कब से प्रक्रियाधीन है और अभी किस स्तर पर लम्बित है ? यह बता दीजिये।

एच०ई०, स्वास्थ्य––सर, अभी फाईल वित्त विभाग में गई हुई है। उसमें एक और नया पत्र माननीय उच्च न्यायालय के कर्मियों को कैशलेस सुविधा के संदर्भ में था, उसको भी हमने उसे फाईल में शामिल किया है।

सभापति––यह कब से प्रक्रियाधीन है और अभी किस स्तर पर लंबित है ? यह बात दीजिए।

एच०ई०, स्वास्थ्य––सर, वित्त विभाग में है। उस पर दिनांक 18 अप्रील, 2025 को अंतिम बैठक हुई है।

सभापति––आपको पूरी बात नहीं पता है तो आप समिति को इसका जवाब भेज दीजिएगा।

एच०ई०, स्वास्थ्य––ठीक है, सर।

सभापति––बिंदु 2 राज्य में कितने कर्मी और पेंशनभोगी हैं जिनको 1000 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है इससे संबंधित उत्तर आपने दिया है कि इससे संबंधित आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। समिति समझती है कि यह आंकड़ा वित्त विभाग के पास होगा। अतः दिनांक 26 जून, 2025 को 11:00 बजे स्वास्थ्य विभाग एवं वित्त विभाग से साथ संयुक्त रूप से बैठक होगी जिसमें राज्यकर्मियों, विधान मंडल के माननीय सदस्यों/पूर्व सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श होगा। साथ ही, इसका जवाब भी आप समिति को उपलब्ध करा दीजियेगा।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य––ठीक है, सर।

श्री रामबली सिंह यादव––एक बात हम कहना चाहते हैं कि एम्स, पटना में माननीय सदस्यों या उनके परिजन के लिये कोई प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्यों या उनके परिजनों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। वहां के डॉक्टर फोन तक नहीं उठाते हैं और वाट्सएप भी नहीं देखते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि एम्स, पटना में माननीय सदस्यों या उनके परिजनों के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य—सर, हमलोग विभाग में बात कर इस संबंध में बैठक करा लेते हैं।

श्री रामबली सिंह यादव—दूसरी बात यह है कि हमारी समिति अध्ययन दल यात्रा पर गयी थी जिसमें जहानाबाद जिले में निरीक्षण के दौरान पाया कि वहां पर दो डॉक्टर प्रतिनियुक्त थे जिसमें से एक ही डॉक्टर वहां उपस्थित थे जबकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में दोनो डॉक्टर की उपस्थिति दर्ज थी। उसके बाद हमलोगों ने सी०सी०टी०वी० चेक किया तो पता चला कि वहां पर जो रमेश शर्मा और कमलेश नाम का क्लर्क हैं जो डॉक्टर का फिंगर बनवा कर उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसकी आप जाँच करायें।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य—ठीक है, सर।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी—हर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में सी०टी० स्कैन, एम०आर०आई० होता है लेकिन मरीज को पी०एम०सी०एच० रेफर कर देते हैं। इस पर रोक लगना चाहिए।

सभापति—हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि आपके अस्पतालों में एम०आर०आई० होती है ?

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य—जी, सर।

सभापति—हमें शिकायत मिली है कि एम०आर०आई० कराने जाते हैं तो पैसा लगता है। आप प्राइवेट एजेंसी को एम०आर०आई० का कार्य दिये हुए हैं जबकि सरकारी अस्पताल में सारी जांच फ्री में होनी चाहिए।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य—सर सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में एम०आर०आई० की जांच किफायती दर पर की जाती है। जैसे प्राइवेट जगह पर जांच 6,000 में होगी तो सरकारी अस्पतालों में वह जांच 3,500 (तीन हजार पाँच सौ) में होगी।

सभापति—आप कोशिश करें कि गरीबों का पैसा न लगे। गरीब मरीजों को इलाज एवं जाँच फ्री में हो।

डी०आई०सी०, स्वास्थ्य—ठीक है, सर।

सभापति—ठीक है। धन्यवाद।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई।"

परिशिष्ट–5

पत्र संख्या–प्र०वि०स०–17/2021/1618/वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

मो० शमीम अहमद,
उप–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 02 जुलाई, 2025 (ई०)।

विषय––संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 26 जून, 2025 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में समिति स्वास्थ्य विभाग के साथ दिनांक 14 जुलाई, 2025 को 12:15 बजे अपराह्न में बिहार विधान सभा स्थित विस्तारित भवन में बैठक करेगी, जिसमें समिति निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करेगी––

1. नियंत्री पदाधिकारियों ने प्रतिवेदन नहीं भेजा तो उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी और जिनका पी०ए०आर० आ गया उनको प्रोन्नति देने में क्या अड़चन है ?
2. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के संबंध में उत्तर दिया गया कि कोई नियम नहीं बनाया गया, अधिनियम में ही दो बार संशोधन किया गया। निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान को भी इस बैठक में सम्मिलित होने की सूचना दी जाय––

   (क) अधिनियम की धारा 17 के अनुसार संस्थान को हर साल वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर सरकार के माध्यम से सदन पटल पर रखना था, आजतक कितने प्रतिवेदन तैयार हुए और कितने सदन पटल पर रखे गये ?

   (ख) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में वर्णित (a) से (h) तक के कार्यकलाप के लिये सरकार को नियम बनाना था। बिना नियम बनाये वे कार्यकलाप किस प्रकार सम्पन्न किये गये ?

(ग) अधिनियम की धारा 27 के (a) से (m) तक के कार्यकलाप के लिये संस्थान को रेगुलेशन बनाना था और उसे सदन पटल पर रखा जाना था। आपके उत्तर के अनुसार रेगुलेशन नहीं तो आखिर संस्थान का कार्य संचालन हो कैसे रहा है ?

(घ) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 रेगुलेशन और वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करा कर सदन पटल पर रखना सरकार की जिम्मेवारी है या नहीं, यदि है तो आजतक क्यों नहीं कराया गया ?

3. एन०एम०सी० के अनुसार अस्पतालों के कुल बेडों की संख्या का 15 प्रतिशत आई०सी०यू० में बेड होना चाहिए, क्या नये जितने अस्पताल बन रहे हैं क्या उनमें भी इसका अनुपालन हो रहा है ?

4. सभी नियमावलियों को सदन पटल पर रखा गया है अथवा नहीं, इससे संबंधित विवरण।

5. सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु निदेश 23 मई, 2025 द्वारा दिया गया है। मुख्यालय से निदेश ही जारी होता है या उसकी समीक्षा भी करते हैं, इससे संबंधित प्रतिवेदन।

6. कैशलेस चिकित्सा का मामला कब से प्रक्रियाधीन है और अभी किस स्तर पर लंबित है ?

7. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछली बैठक में बताया गया कि दिनांक 18 अप्रील, 2025 को अंतिम बैठक हुई है। अंतिम बैठक हुए भी दो माह से अधिक बीत गये फिर अभीतक इस पर निर्णय लेने में क्या कठिनाई है और किस स्तर पर यह कठिनाई हो रही है ?

8. कैशलेस की योजना 2018 में प्रस्तावित हुई थी और 25 दिसम्बर, 2018 इसके प्रारंभ की तिथि घोषित की गयी उसके आधार पर पेंशनर्स से चिकित्सा भत्ता बंद किये जाने का ऑप्शन भी ले लिया गया था परंतु आज छः वर्ष से ऊपर हो गये, परंतु नियमावली ही अभीतक नहीं बनी।

9. समिति विभाग की कार्य प्रणाली पर आहूत सत्र में सदन में प्रतिवेदन देगी इसलिये कैशलेस योजना से संबंधित संचिका की छायाप्रति एक सप्ताह के अंदर समिति को उपलब्ध करा दी जाय।

अतः अनुरोध है कि वांछित अद्यतन प्रतिवेदन दस प्रतियों में समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराते हुए निर्धारित बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

मो० शमीम अहमद,

उप–सचिव।

परिशिष्ट–6

सं०सं० 13/वि०स०/01/2021/209(13)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

मगन मोहन मेहरा,

अवर–सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

मो० शमीम अहमद,

उप–सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 11 जुलाई, 2025 (ई०)।

विषय—बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—आपके पत्रांक 1618/वि०स०, दिनांक 02 जुलाई, 2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 14 जुलाई, 2025 को 12:15 बजे अपराह्न में बिहार विधान सभा स्थित विस्तारित भवन में आहूत बैठक से संबंधित प्रतिवेदन बिहार विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशानुसार उपर्युक्त के आलोक में कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन संलग्न कर 10 (दस) प्रतियों में भेजी जा रही है। कृपया पावती स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मगन मोहन मेहरा,

सरकार के अवर–सचिव।

स्वास्थ्य विभाग

<u>बिहार सरकार</u>

बिहार विधान सभा के प्रत्यायुक्त विधान समिति के पत्रांक 1618/वि०स०, दिनांक 02 जुलाई, 2025 के कार्यवाही अनुपालन प्रतिवेदन—

विचार विमर्श के बिन्दु

1. नियंत्री पदाधिकारियों ने प्रतिवेदन नहीं भेजा तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी और जिनका पी०ए०आर० आ गया उनको प्रोन्नति देने में क्या अड़चन है ?
2. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के संबंध में उत्तर दिया गया कि कोई नियम नहीं बनाया गया, अधिनियम में ही दो बार संशोधन किया गया। निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान को भी इस बैठक में सम्मिलित होने की सूचना दी जाय---

   (क) अधिनियम की धारा 17 के अनुसार संस्थान को हर साल वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर सरकार के माध्यम से सदन पटल पर रखना था, आजतक कितने प्रतिवेदन तैयार हुए और कितने सदन पटल पर रखे गये ?

   (ख) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में वर्णित (a) से (h) तक के कार्यकलाप के लिये सरकार को नियम बनाना था। बिना नियम बनाये वे कार्यकलाप किस प्रकार सम्पन्न किये गये ?

   (ग) अधिनियम की धारा 27 के (a) से (m) तक के कार्यकलाप के लिये संस्थान को रेगुलेशन बनाना था और उसे सदन पटल पर रखा जाना था। आपके उत्तर के अनुसार रेगुलेशन नहीं तो आखिर संस्थान का कार्य संचालन हो कैसे रहा है ?

   (घ) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 रेगुलेशन और वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करा कर सदन पटल पर रखना सरकार की जिम्मेवारी है या नहीं, यदि है तो आजतक क्यों नहीं कराया गया ?
3. एन०एम०सी० के अनुसार अस्पतालों के कुल बेडों की संख्या का 15 प्रतिशत आई०सी०यू० में बेड होना चाहिए, क्या नये जितने अस्पताल बन रहे हैं क्या उनमें भी इसका अनुपालन हो रहा है ?
4. सभी नियमावलियों को सदन पटल पर रखा गया है अथवा नहीं, इससे संबंधित विवरण।
5. सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु निदेश 23 मई, 2025 द्वारा दिया गया है। मुख्यालय से निदेश ही जारी होता है या उसकी समीक्षा भी करते हैं, इससे संबंधित प्रतिवेदन।
6. कैशलेस चिकित्सा का मामला कब से प्रक्रियाधीन है और अभी किस स्तर पर लंबित है ?
7. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछली बैठक में बताया गया कि दिनांक 18 अप्रील, 2025 को अंतिम बैठक हुई है। अंतिम बैठक हुए भी दो माह से अधिक बीत गये फिर अभीतक इस पर निर्णय लेने में

क्या कठिनाई है और किस स्तर पर यह कठिनाई हो रही है ?

8. कैशलेस की योजना 2018 में प्रस्तावित हुई थी और 25 दिसम्बर, 2018 इसके प्रारंभ की तिथि घोषित की गयी उसके आधार पर पेंशनर्स से चिकित्सा भत्ता बंद किये जाने का ऑप्शन भी ले लिया गया था परंतु आज छः वर्ष से ऊपर हो गये, परंतु नियमावली ही अभीतक नहीं बनी।

9. समिति विभाग की कार्य प्रणाली पर आहूत सत्र में सदन में प्रतिवेदन देगी इसलिये कैशलेस योजना से संबंधित संचिका की छायाप्रति एक सप्ताह के अंदर समिति को उपलब्ध करा दी जाय।

अद्यतन स्थिति

1. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 19300/स०प्र०, दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 एवं 636, दिनांक 10 जनवरी, 2024 के आलोक में राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत राज्यकर्मियों की प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिया जाना है।

सर्वप्रथम उक्त के आलोक में निदेशक प्रमुख, निदेशक एवं अपर निदेशक के कुल 173 पदों पर उच्चतर पद का प्रभार दिया जा चुका है।

साथ ही सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के प्रथम प्रोन्नति पद वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर मूल कोटि के कुल 2045 पदों पर उच्चतर पद का प्रभार देने की कार्रवाई विचाराधीन है। सम्प्रति योग्य चिकित्सकों का वांछित कागजात प्राप्त हो चुका है। उच्चतर पद का प्रभार देने के क्रम में चिकित्सकों का निगरानी शाखा से आंतरिक स्वच्छता प्राप्त की जा रही है।

2. (क) मुख्य प्रशासी पदाधिकारी, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा वर्ष 2014–15 से वर्ष 2021–22 तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की सूचना दी गयी है। इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना से प्राप्त होते ही इसे सदन पटल पर रखने की कार्रवाई की जायेगी।

(ख) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश 1983 (23, 1983) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1984 बनायी गयी है।

(ग) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा अधिनियम प्रारूप तैयार कर कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासी निकाय के 93वीं बैठक में मद संख्या 93/1401(B) अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त कर विभाग को भेजा गया है जिसपर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(घ) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1984 निर्गत है जिसका प्रकाशन बिहार गजट में किया गया है।

संस्थान से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त कर सदन पटल पर रखने की कार्रवाई की जायेगी।

3. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2023 की कंडिका

6.5(B.1.2) में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कुल MBBS सीटों की क्षमता के अनुरूप निम्नांकित रूप से ICU बेड की संख्या का प्रावधान किया गया है:–

MBBS seat capacity	50	100	150	200	250
No. of ICU Beds	20	20	30	30	30

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रावधान को पूर्णतः पालन किया जा रहा है।

4. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष में बनायी गयी नियमावली में से––

1. बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2024

2. बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024

3. बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०) संवर्ग नियमावली, 2025 सदन पटल पर रखी गयी है।

4. बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025

5. बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली, 2024

6. बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली, 2025 को आगामी सत्र में सदन पटल पर रखने हेतु तीन सौ प्रतियों में भेज दी गयी है।

5. विभागीय पत्रांक 503(1), दिनांक 23 मई, 2025 द्वारा दिये गये निदेश का अनुश्रवण किया जा रहा है। संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

6. कैशलेस चिकित्सा सुविधा से संबंधित मामले की कार्रवाई दिनांक 1 जनवरी, 2018 से प्रक्रियाधीन है और वर्तमान में संचिका दिनांक 20 जून, 2025 को वित्त विभाग से वापस हुई है।

7. माननीय उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु दिनांक 18 मार्च, 2025 को चिकित्सा सलाहकार समिति, माननीय उच्च न्यायालय, पटना की बैठक हुई है, जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 943(14), दिनांक 4 अप्रील, 2025 को विधान मंडल के माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों, राज्य सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों सहित) एवं उनके आश्रितों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बिन्दु पर एक कमिटी का गठन किया गया था। कमिटी से प्राप्त प्रतिवेदन पर अनुमोदन हेतु संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी। वित्त विभाग

द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा से संबंधित प्रस्ताव के साथ संचिका उपलब्ध कराने का परामर्श दिया गया है, जिसकी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है।

8. स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 398(14), दिनांक 9 मार्च, 2018 द्वारा पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 944(14), दिनांक 20 अगस्त, 2014 के तहत बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज हेतु प्रदान की जाने वाली अनुदान से संबंधित योजना को पेंशनरों के अनुरोध पर वापस लेते हुए पूर्व की तरह ही पुनः चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

9. कैशलेस योजना से संबंधित संचिका की टिप्पणी भाग की छायाप्रति स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 205(13), दिनांक 7 जुलाई, 2025 के द्वारा बिहार विधान सभा के प्रत्यायुक्त समिति को उपलब्ध करा दी गयी है।

परिशिष्ट–7

प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 को 12:15 बजे अपराह्न में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष में हुई, की कार्यवाही।

उपस्थिति

श्री अजीत शर्मा	सभापति
श्री आबिदुर रहमान	सदस्य
श्री अनिरूद्ध कुमार	सदस्य
श्री प्रेम शंकर प्रसाद	सदस्य
श्री रामबली सिंह यादव	सदस्य
श्रीमती शालिनी मिश्रा	सदस्या
श्रीमती प्रतिमा कुमारी	सदस्या
श्रीमती मीना कुमारी	सदस्या

विभागीय पदाधिकारीगण

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग

श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदा०, स्वास्थ्य विभाग

डॉ० विभूति प्रसन्न सिन्हा, चीफ आर०/ओ०&उप–निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना

सभापति––बैठक प्रारंभ की जाती है।

स्वास्थ्य विभाग का पत्रांक 205(13), दिनांक 07 जुलाई, 2025 एवं पत्रांक 209(13), दिनांक 11 जुलाई, 2025 समिति के समक्ष रखा गया। आपका प्रतिवेदन बैठक से पूर्व समिति को प्राप्त हुआ है इसके लिए आपको धन्यवाद। अब आप एक–एक कर बता दीजिए।

क्रमांक 1 में पहले आपने एक माह कहा था। आपने एक नया बिंदु इसमें बताया है कि निगरानी शाखा से आंतरिक स्वच्छता प्राप्त की जा रही है। यह कितने दिनों में प्राप्त कर लेंगे और कितने दिनों में प्रोन्नति देंगे यह बताइए ?

निदेशक प्रमुख––सर, जल्द ही हो जाना चाहिए। एक महीना और लग जाएगा।

सभापति––आपने पहले भी एक माह बताया था और आज फिर एक माह बता रहे हैं।

निदेशक प्रमुख––सर, पहले पी०ए०आर० भेजा ही नहीं था। अब पी०ए०आर० आ गया है इसलिए एक माह का समय और लग जाएगा।

सभापति––इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें।

(क) आपने बताया है कि 2014–15 से 2021–22 तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की सूचना दी गयी है संस्थान से प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखने की कार्रवाई की जाएगी। 1984 के बाद से आजतक क्यों नहीं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराया गया ?

उप निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०––सर, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार होता है। वर्ष 2021 के पहले का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार है। 2021–22 का प्रतिवेदन पेंडिंग में है और 2022–23, 2023–24 का पहले से ही तैयार करने के प्रोसेस में है। यह रखा नहीं जा पाया है लेकिन इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुराने प्रतिवेदन जो बने हुए हैं उनकी कॉपी भी आज हम मंगवाये हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और विधान सभा में भी रखने के लिए दस प्रतियां हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति––आपने दिया है कि नियमावली बनायी गई। पिछली बार बैठक में ऐसी कोई बात नहीं कही गयी थी इसका मतलब है कि बिना जानकारी के आप बैठक में चले आते हैं। आप यह बताइये कि अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) में है कि सदन पटल पर रखी जाएगी। रखी गयी या नहीं और रखी गयी तो कब ?

उप निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०––सर, अधिनियम जो स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है। पत्रांक 3378, के द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2025 को यह प्रारूप अधिनियम स्वास्थ्य विभाग को समर्पित है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई करके सदन पटल पर रखा जाना है। हमारे यहां से दो बार प्रारूप अधिनियम स्वास्थ्य विभाग को जा चुका है।

सभापति––सदन पटल पर अबतक नहीं रखी गयी।

उप निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०––जी सर। सर, हम विभाग को अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह हमलोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर यह लागू हो जाती है तो हमारे लिए भी एक गाइड लाइन तैयार हो जाएगी।

सभापति––(ग) में आप कह रहे हैं कि अधिनियम का प्रारूप तैयार कर विभाग को भेजा गया। आपसे स्पष्ट पूछा गया है कि अधिनियम की धारा 27 के (a) से (m) तक के कार्यकलाप के लिए संस्थान को रेगुलेशन बनाना था और उसे सदन पटल पर रखा जाना था। क्या संस्थान द्वारा रेगुलेशन बनाया गया और यदि नहीं बनाया गया तो वर्णित उप–धाराओं के अंतर्गत निर्धारित कार्यकलाप किस आधार पर संचालित हुए ?

उप निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०––सर, यह प्रक्रिया अभी जारी है। इसमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटिड हैं लेकिन इसमें एक पूर्व में हमलोगों के पास आदेश आया था कि राज्य सरकार का आदेश 172, दिनांक 10 अक्तूबर, 1991 का है इसमें है कि पूर्व की सारी सेवा संबंधी शर्तें अखिल भारतीय

आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुरूप होगी। हमलोग जबतक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर लेते तबतक के लिए सारी की सारी सेवा शर्तें और जो अपॉइंटमेंट से रिलेटिड रूल्स एण्ड रेगुलेशन है वह हमलोग अखिल भारतीया आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का मानते हैं।

सभापति—(घ) इसमें रेगुलेशन के बारे में कहा जा रहा है और आप नियमावली की बात करते हैं आप स्पष्ट बताइये कि इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के अंतर्गत संस्थान से रेगुलेशन और वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करा कर सदन पटल पर रखना सरकार की जिम्मेवारी है या नहीं, यदि है तो 41 वर्ष बीत जाने के बावजूद आजतक क्यों नहीं तैयार कराया गया ?

उप निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०—सर, वार्षिक प्रतिवेदन हमलोगों का बना हुआ है। हमलोग तुरंत सरकार को प्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो 2023–24, 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन बनना है उसको भी हम अगले तीन महीने के अंदर वार्षिक प्रतिवेदन बनाये जाने की कोशिश करेंगे और पुनः सरकार को समर्पित करे ताकि वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर आ सके।

सभापति—अस्पताल के बेड से आई०सी०यू० का बेड निर्धारित होता है या एम०बी०बी०एस० की सीट से यह बताइये।

उप निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०—सर, अस्पताल के बेड से भी होता है वह भी एक क्राइटेरिया है और एम०बी०बी०एस०/एम०डी०/एम०एस० की जो गाइडलाइन्स अलग है कि इतने बेड होने चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर अस्पताल में यह व्यवस्था होती है जो सामान्य बेड होते हैं उनके अनुपात में हमलोगों को इमरजेंसी बेड और आई०सी०यू० बेड क्रीयेट करने पड़ते हैं क्योंकि हमें मरीज को ट्रांसफर अप एण्ड डाउन भी करना पड़ता है। बेड का प्रतिशत अनुपातिक होता है।

सभापति—सभी नियमावलियों को सदन पटल पर रखे जाने की आप कार्रवाई करें। संस्थान से सूचना प्राप्त कर कब उसके कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति बतायेंगे ?

बिन्दु 6 का आपने उत्तर दिया है। संचिका की जो छायाप्रति भेजी गई है उसके अवलोकन से कई सारे बिंदु उभरते हैं। लेकिन अभी आप यह जानकारी दें कि दिनांक 04 अप्रील, 2025 को श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्यों नहीं सभी राज्यकर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, विधान मंडल के माननीय सदस्यों पूर्व सदस्यों के भी मामले पर विचार नहीं कर केवल उच्च न्यायालय के कार्यरत एवं उनके आश्रितों के मामलों पर विचार कर प्रतिवेदन दिया गया है, क्यों नहीं समेकित रुप से विचार कर प्रतिवेदन दिया गया ?

विशेष कार्य पदा०—सर, अभी हमलोगों ने वित्त विभाग को सभी लोगों के प्रस्ताव पर संचिका भेजी है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव के साथ संचिका भेजने को कहा है। प्रस्ताव हमलोगों ने बनाया है। प्रस्ताव है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना (बी०जी०एच०एस०) का प्रपोजल हम दे रहे हैं। जिस तरह से

सी०जी०एच०एस० केन्द्र सरकार का है उसी तरह बी०जी०एच०एस० का प्रस्ताव हम बनाये हैं। इसमें बिहार सरकार के सभी कार्यरत सरकारी कर्मियों रहेंगे, उनके आश्रितों में माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति पत्नी, दादा, दादी, सास/ससुर। महिला कर्मी के मामले में आश्रित भाई, बहन (परित्यक्ता पुत्री/बहन)।

सरकारी सेवानिवृत्त कर्मी रहेंगे, उनके आश्रितों में पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री (परित्यक्ता पुत्री)। सभी सरकारी कार्यरत कर्मी का वार्षिक बीमा 60 लाख रुपये तक और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी का वार्षिक बीमा 30 लाख रुपये तक हमलोग कर रहे हैं। सरकारी कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मी को जो चिकित्सा भत्ता मिलता है वह हम इंश्योरेंस कम्पनी को देने का प्रस्ताव रखेंगे। 12 हजार रुपया प्रत्येक वर्ष इंश्योरेंस कम्पनी को हम दे देंगे और इंश्योरेंस कम्पनी से हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से एग्रीमेंट होगा। इसमें हमने वेतन स्तर के अनुसार कमरे की श्रेणी को रखा है।

वेतन स्तर के अनुसार यात्रा की श्रेणी को भी रखा गया है। सभी प्रकार के अंतर्वासी/बहिर्वासी (इन्डोर/आउटडोर) चिकित्सा कवरेज अनुमान्य होगा। वार्षिक मेडिकल चेकअप–सभी बीमित व्यक्तियों का प्रत्येक वर्ष मेडिकल चेकअप का प्रावधान होगा।

आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक अस्पताल में भी अन्तर्वासी/बर्हिवासी इलाज होने पर व्यय/अस्पताल में भर्त्ती रहा हो, तो उसको भी कवरेज किया जाएगा।

एयर एम्बुलेंस कवरेज–गंभीर अवस्था में अस्पताल द्वारा अनुशंसा करने पर अधिकतम 10 लाख प्रतिवर्ष।

एम्बुलेंस के मामले में वार्षिक 40 हजार रुपया अधिकतम सीमा होगी। आई०सी०यू० कमरा, आवासन एवं नर्सिंग व्यय बिना किसी उप–सीमा के अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा जो कर्मी एक साल में 12 हजार रुपया व्यय करके कोई भी हेल्थ लाभ नही लेता है उसका 25 प्रतिशत अतिरिक्त अगले वर्ष की राशि में जोड़ा जाएगा।

प्रत्येक जिला में कम से कम पाँच निजी अस्पताल, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा राज्य के अंदर एवं बाहर लगभग सभी प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञ चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध होंगे।

मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन बाद की भी सभी चिकित्सा व्यवस्था (दवा/जाँच) मुफ्त होगी।

कॉल सेंटर सेवाएं–सभी जिलों में एक नियंत्रण कक्ष (पटना के लिए दो) एवं टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

यह सुविधा बिहार के न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त, विधान मंडल के सदस्यों/पूर्व सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा एवं बिहार सरकार के सभी कार्यरत सरकारी कर्मियों एवं सरकारी सेवानिवृत्त कर्मियों पर लागू होगी। इस योजना को लागू करने में सरकार पर किसी भी तरह का वित्तीय भार नहीं होगा।

इन सुविधाओं के लिए सरकारी एजेंसियों जैसे–एम०आई०सी०, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस, मैक्स बुपा, आई०सी०आई०सी० लॉम्बार्ड, स्टार हेल्थ, एस०बी०आई० लाईफ, टाटा ए०आई०जी०, रिलाइंस, केयर एवं अन्य सरकारी एवं प्राईवेट एजेंसियों जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करती हो।

सभापति—प्रस्ताव कबतक भेज रहे हैं ?

विशेष कार्य पदा०—सर, संचिका अपर सचिव महोदय के पास चली गयी है। वहां से मंत्री जी का अनुमोदन होगा।

सभापति—कैशलेस चिकित्सा योजना 2018 से चल रही है और 2025 में भी स्थिति वही की वही है, क्या यह हास्यास्पद नहीं है और क्या यह विभाग की तस्वीर अच्छी बनाता है ?

विशेष कार्य पदा०—सर, बिल्कुल हास्यास्पद है। कैशलेस चिकित्सा सभी लोगों के लिए होना चाहिए।

सभापति—अब समिति की आगामी समीक्षात्मक बैठक 18 जुलाई, 2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में होगी और साथ ही, विभागीय बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में सभा सचिवालय के पत्रांक 847, दिनांक 13 मई, 2025 में अंकित बिंदुओं पर उद्योग विभाग के साथ विचार–विमर्श करेगी।

कार्यालय इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करे। तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026